N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0112 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/06/2024 21:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 20:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/06/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/06/2024 21:28:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 105 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KRSHI UPAJ MANDI, GEST HOUSE ATARU, DISTRICT BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** OMPRAKASH SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SATYANARAYAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE KHUREE, ATARU, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE KHUREE, ATARU, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JITENDRA SINGH		पिता:Shambhu singh	1. C-170,NEAR PURANE THANA,INDIRA COLONY VIGYAN NAGAR,VIGYAN NAGAR,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA
2	SUNIL SHARMA URF BITTU		पिता:NAND LAL	1. NEAR PURANI MANDI ATRU,TEACHER COLONY,BARAN,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.06.2024 को समय 3.00 पी.एम. पर परिवादी श्री औमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै ग्राम खुरी जिला बारां का रहने वाला हु। मेरा भाई सुरेश शर्मा व छोटा भाई कौशल अटरू में रहते है। आज से करीब सवा डेड महिने पहले हमारे अटरू के मकान के पडौसी मुकेश नाई के बिच आपस में लडाई झगडा हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे दोनो भाईयो ने अटरू थाने मे करवा दी थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। उसके बाद मुकेश नाई ने एसपी साहब बारां को रिपोर्ट देकर मेरे दोनो भाईयो के खिलाफ अटरू थाने पर मुकदमा नम्बर 186/24 दर्ज करवा दिया। जिसकी तफतीश जितेन्द्र सिंह हैड को दी गई है। जितेन्द्र सिंह ने मेरे दोनो भाईयो को दिनांक 21.05.2024 को उक्त मुकदमे में गिरफतार कर लिया था। मै हैड साहब से मेरे भाईयो को छोडने व जानकारी करने थाने पर गया तो हैड साहब ने उनके दलाल बिटटु (सुनील) शर्मा को बुला लिया। फिर दोनो ने आपस में बात करके मेरे से हैड साहब ने कहा कि 20,000 रूपये दे दो, मै तेरे भाईयो का रिमाण्ड नही लुगां, कल की अदालत में पेश कर दुगां व केस को भी कमजोर बना दुगां। इस पर मैने हैड साहब से कहा कि आप इनको छोड दो तो मै 20,000 रूपये दे दुगां, नही छोडो तो किस बात के पैसे दुं तो हैड साहब ने कहा कि मै केस को कमजोर बनाउगां व रिमाण्ड भी नही लुगां, तुझे 10,000 रूपये तो देने ही होगें। फिर दुसरे दिन मै थाने पर गया तो बिटटु शर्मा हैड साहब के पास ही मिला। मैने हैड साहब से मेरे भाईयो को पेश करने की कही तो उनहोने मेरे छोटे भाई कौशल शर्मा के कानो की सोने की बालियां मुझे दे ते हुए का खुद के मोबाईल में विडियो बनाकर बालियां मुझे दे दी, उसके तुरन्त बाद हैड साहब ने दोनो बालियां मेरे से वापस लेकर बिटटु शर्मा को दे दी व कहा कि तु बिटटु शर्मा को 10,000 रूपये देकर तेरी बालियां ले जाना। हैड साहब ने यह भी कहा कि अपने बीच जो भी बात हुई है वह किसी को मत बताना, यदि किसी को बता दिया तो तेरे भाईयो की जमानत नही होने दुगां । मै हैड साहब के डर से पैसो की व्यवस्था करने लग गया। उसी दरमियान दिनांक 28.05.2024 को मेरी तीन वर्ष की लडकी को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी, इसलिये मै एसीबी में शिकायत नही कर सका। मेरी लडकी को मरे 12 दिन भी नही हुए कि जितेन्द्र जी हैड साहब ने परसो के दिन मेरे मोबाईल पर बिटटु शर्मा के मोबाईल से फोन कर कहा कि तुने अब तक 10,000 रूपये बिटटु शर्मा को मेरे कहेनुसार नही दिये है, बिटटु शर्मा ने तेरे भाई कौशल शर्मा को बालियां भी दे दी है, यदि तुने बात अनुसार 10,000 रूपये नही दिये तो तेरे भाईयो का चालान पेश नहीं करूगां। मेरी जितेन्द्र सिंह हैड साहब व बिटटु शर्मा से कोई दुष्मनी नही है ना ही कोई पुराना लेनदेन बकाया है, रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है, इत्यादि। परिवादी से पूछताछ करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व परिवादी से किए गए दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग से सम्बंधित होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी में आने पर कार्यालय में उपस्थित श्री लालचन्द कानि. को अपने चेम्बर मे बुलाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश से परिचय करवाया गया। परिवादी व लालचन्द को एक दूसरे के मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान करवाया। मालखाना से मालखाना प्रभारी श्रीमती सरोज गौड हैड कानि0 से सोनी कम्पनी का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी को वाईस रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि भलीभांती समझाई गई। परिवादी द्वारा स्वयं की लडकी की मोत का आज ही नवां दिन होने से सत्यापन हेतु आज दिनांक 05.06.24 को जाने में असमर्थता जताते हुये कल दिनांक 06.06.24 को कस्बा अटरू में मिलने हेतु निवेदन किया। डिजिटल वाईस रिकार्डर श्रीमती सरोज हैड कानि. से पुनः मालखाना में सुरक्षित रखवाया। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एव दिनांक 06.06.24 को समय 10.30 ए.एम. पर कस्बा अटरू में मिलने हेतु की समझाईश कर रूखसत किया। दिनांक 06.06.2024 को समय 6.30 ए.एम. पर श्रीमती सरोज हैड कानि. ने

मालखाना से सोनी कम्पनी का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर रूबरू गवाहान मुन्दरजा फर्द के डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री लालचन्द कानि. को सुपुर्द किया जाकर आवश्यक हिदायत की गई। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.30 पी.एम. पर श्री लालचन्द कानि. 30 ने जरिये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कोटा से रवाना होकर अटरू पहुंचने के पश्चात परिवादी से मिला तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर पुनः चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर जितेन्द्र सिहं हैड कानि. से रिश्वत लेन देन व पेण्डिगं कार्य के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करने हेतु समझाईश कर वाईस रिकार्डर चालू कर पुलिस थाना अटरू पर भिजवाया था तथा मैं कानि. भी परिवादी के पीछे-पीछे थाना परिसर में खडे वाहनो के पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी थाना भवन से बाहर आया। इस पर मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे बाहर आ गया। परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं जितेन्द्र हैड साहब से मिला तो उन्होने कहा है कि मैंने तुम्हारे कहेनुसार तेरे भाईयों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की फाईल को कमजोर कर दिया है व 10-15 दिन मे चालान भी पेश कर दूगां। इस पर मैंने पूर्व में हुई बात अनुसार रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करनी चाही तो उन्होने ज्यादा बात नहीं की व सुनिल शर्मा से मिलने की कहने पर उन्होने ईशारे में सुनिल से मिलने हेतु कहा है। मेरे व हैड साहब जितेन्द्र जी के मध्य हुई वार्ता आप द्वारा दिये डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गई है। अब सुनिल शर्मा ही रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध मे वार्ता करेगा। सुनिल शर्मा से सम्पर्क करने का प्रयास कर रहे है। समय 06.30 पी.एम. पर श्री लालचन्द कानि. ने जरिये दूरभाष मन अति पुलिस अधीक्षक को बताया कि सुनिल शर्मा का लोकेशन जानने हेतु परिवादी की वार्ता उसके मोबाईल पर करवाई तो उसने छीपाबडौद होना बताया, फिर 3.30 पी.एम. पर वार्ता करवाई तो उसने कमल मिस्त्री की दुकान पर परिवादी को बुलाया। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर कमल मिस्त्री की दुकान पर सुनिल शर्मा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया। मैं कानि. भी कमल मिस्त्री की दुकान से थोडी दूरी पर परिवादी की निगरानी करने लगा। करीब दो ढाई घण्टे बाद परिवादी मेरे पास वापस आया, जिससे डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित मेरे पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि सुनिल शर्मा से मेरे भाईयों के विरूद् दर्ज मुकदमें का चालान जल्द पेश करवाने हेतु कहा तो उसने कहा कि तूने पहले के ही बकाया पैसे नहीं दिये। मैने पूर्व के दस हजार रूपये कल ही देने हेतु कहने पर सुनिल शर्मा हैड साहब से बात करके उनसे मिलने गया था व हैड साहब से मिलकर वापस आया व कहा कि तेरे भाईयों का चालान 10-15 दिन में पेश कर देगे। तेरी फाईल ए.पी.पी. के पास भिजवायेगे। तू पहले के पैसे जो बात हुई वह दे दे, मैं चालान पेश करने के सम्बन्ध में भी हैड साहब से लेन देन की बात करके तुझे बता दूगां। इस पर मैंने पूर्व के पैसे दिनांक 07.06.24 को किसी भी सुरत में सुनिल शर्मा को देने की हां की है वह कल ही दस हजार रूपये मेरे से लेगा। मेरे व सुनिल शर्मा के मध्य मेरे पेण्डिग कार्य व रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध मे हुई वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गई है। परिवादी ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रू. की व्यवस्था करने मे समय लगने व शाम का वक्त होने से कोटा आने मे असमर्थता जाहिर की है व दिनांक 07.06.24 को अटरू से पहले ही मिलने हेतु कहा। इसलिए परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु व रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने हेतु समझाईस कर मैं कानि. कोटा के लिए रवाना हो रहा हूँ। समय 10.00 पी.एम. पर श्री लालचन्द कानि. कार्यालय आया व डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सम्भलाकर मन अति पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताये गये हालात दोराये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सूना गया तो कानि. द्वारा जरिये मोबाइल बताये गये हालातों की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जरिये सरोज हैड कानि. से मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 07.06.2024 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से जरिये दुरभाष वार्ता की गई तो बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था कर रहा हुं। सुनिल शर्मा ने आज ही रिश्वत राशि दस हजार रूपये देने हेतु कहा है इसलिए कोटा नहीं आ सकता, आप आ जावो, मैं रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके आपको अटरू से पहले मिल जाउगां। समय 10.45 ए. एम. पर ए.सी.बी कोटा से श्री अभिषेक कानि. नम्बर 197 व कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो कोटा से श्री मुकेश कुमार हैड कानि. को कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया। जो समय 11 एएम पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 1.15 पी.एम. पर परिवादी से हुई दुरभाष वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन प्रस्तावित होने से श्री लालचन्द कानि. को दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु अधीक्षक एम.बी.एस.एच कोटा के नाम तहरीर दी जाकर एम.बी.एस.एच कोटा रवाना किया, जो थोडी देर बाद. मय स्वतंत्र गवाहान श्री बृज बिहारी नर्सिंग आफिसर एवं श्री मोहित कुमार कनिष्ट सहायक एम.बी.एस.एच.कोटा के उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात श्रीमती सरोज गौड हैड कानि. से मालखाना से फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी वाहन टवैरा के डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखवाई गई। समय 3.00 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री बृज बिहारी नर्सिंग आफिसर एवं श्री मोहित कुमार कनिष्ट सहायक, एसीबी जाप्ता श्री लालचन्द कानि. नम्बर 30 व अभिषेक कानि.नम्बर 197 के प्राईवेट वाहन एवं पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक, श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार हैंड कानि. श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती सरोज हैड कानि. मय लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स एवं ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री के मय सरकारी वाहन ट्वेरा मय

चालक श्री घनश्याम के कार्यालय हाजा से परिवादी द्वारा बताये गये कस्बा अटरू से पहले गोपनीय स्थान हेतु रवाना होकर समय 4.45 पीएम पर परिवादी द्वारा बताये अनुसार ग्राम अर्डान्द के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा, जहां परिवादी श्री ओमप्रकाश मय स्वयं की मोटर साईकिल के उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढ़कर सुनाया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढ़कर अपनी-अपनी सहमति व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मन् अ0पु0अ0 द्वारा स्वयं के कब्जे मे रखे डी0वी0आर0 मय मैमोरी कार्ड को चलाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दोनों गवाहान को परिवादी के समक्ष मुख्य अंश सुनाकर रिश्वत मांग के सम्बन्ध में पुष्टि होने बाबत् संतुष्टि करवाई गई। समय 05.02 पी.एम.पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा से आरोपी सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा को लोकेशन जानने हेतु मोबाईल पर स्पीकर आन कर वार्ता करवाई तो बताया कि मैं कोटा से आ रहा हुं, अर्डान्द आ गया हुं, थोडी देर मे अटरू पहुंच जाउगां, तू वहीं मिल लेना व फोन काट दिया। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। समय 05.04 पी.एम. पर पुनः वार्ता करवाई गई तो आरोपी द्वारा दस हजार रूपये लेकर अटरू आने हेतु कहा। उक्त मोबाईल वार्ता के दौरान स्पीकर आन कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय वाहनों के अन्य गोपनीय स्थान हेतु रवाना हुआ व परिवादी को वाहनों के पीछे-पीछे आने हेतु कहा गया। ग्राम मेरमाचा के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा, जहां परिवादी भी वाहनों के पीछे-पीछे उपस्थित आया। समय 05.45 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण, उम्र 40 साल निवासी खुरी, तहसील अटरू जिला बांरा ने अपने पास से निकालकर 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है- क्र सं. नम्बरी नोट नोट क्रमांक 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WN398101 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 VC643049 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8EG645601 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0VF725964 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AD216013 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HM380079 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QS548305 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NQ195002 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UN032887 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9WQ582048 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VQ160330 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BP564999 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AT925691 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5DA401612 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NH575586 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NM618425 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GP964118 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FQ585094 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2VB134013 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RG846290 उपरोक्त गवाहान के समक्ष सभी नोटों पर कार्यालय हैड कानि. श्रीमती सरोज 81 के द्वारा सरकारी वाहन तवेरा के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया कि पाउडर अदृश्य व प्रभावी रहे। गवाह श्री बृजबिहारी से परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण, उम्र 40 साल निवासी खुरी, तहसील अटरू जिला बांरा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमति सरोज गोड महिला हैड कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। गाडी में रखे कैम्पर से डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति सरोज गोड महिला हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टान्त देकर फिनाफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की उपयोगिता एवं महत्व को सभी हाजरीन को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। प्रक्रिया में प्रयुक्त अखबार को ट्रेप बाक्स से माचिस लेकर जलाकर नष्ट करवाया गया व गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी को श्रीमति सरोज महिला हैड कानि. के सुपुर्द कर कोटा रवाना किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध कर्मचारी से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को छुवें। संदिग्ध द्वारा मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर बधी सफेद साफी को खोलकर इशारा करे। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसकी पहनी हुई पेन्ट की साइड की बाई जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करे। समय 06.15 पी.एम. पर परिवादी श्री ओमप्रकाश

शर्मा को आरोपी श्री सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू से हुई मोबाईल वार्तानुसार सुनिल शर्मा द्वारा बताये स्थान कस्बा अटरू के लिए आरोपी से रिश्वत लेन देन हेतु रवाना किया गया। तथा परिवादी की मोटर साईकिल पर ही श्री लालचन्द कानि. एवं श्री अभिषेक कानि. को निगरानी हेतु साथ भेजा गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान, मय जाप्ता मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के परिवादी के पीछें-पीछे कस्बा अटरू के लिए रवाना होकर मण्डी परिसर अटरू पहुंचा। समय 06.30 पी. एम. पर परिवादी से उसके पास रखा वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी सुनिल शर्मा का लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवाई गई तों आरोपी द्वारा 15-20 मिनट में मण्डी परिसर मे ही आने हेतु बताया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कृषि उपजमण्डी के सामने उपस्थित जाप्ता को अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाया जाकर आरोपी सुनिल शर्मा के आने का इन्तजार करने लगे। समय 07.00 पी.एम.पर जाप्ता मे से श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक, श्री किशन लाल उपनिरीक्षक व मुकेश कानि. को पैदल-पैदल श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. की निगरानी व डिटेन करने हेतु पुलिस थाना अटरू के लिए मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 07.05 पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश ने कृषि उपज मण्डी अटरू के आफिस परिसर से सिर पर बधीं साफी को खोलकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यों की ओर ट्रेप कार्यवाही का पुर्व निर्धारित इशारा किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ता के तेज-तेज कदमो से चलकर परिवादी के पास पंहुचे तथा परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त किया जाकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने पास ही खडे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि ये ही दलाल श्री बिटू उर्फ श्री सुनिल शर्मा है जिसने मेरे से जितेन्द्र जी हैड साहब के कहे अनुसार हैड साहब के लिए 10,000 रू रिश्वत प्राप्त कर उन्हे गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रख लिये हैं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का पूर्ण परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुये उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्द लाल जाति ब्राहम्ण, उम्र 30 साल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू जिला बांरा होना बताया। तत्पश्चात दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिटटू से परिवादी से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशी 10,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो दलाल ने बताया कि ओमप्रकाश के दो भाईयो सुरेश व कौशल को जितेन्द्र जी हैड साहब ने पिछले महिने गिरफ्तार किया था उस समय हैड साहब ने 20,000 रू की मांग कर ओमप्रकाश से केस को कमजोर करने व पुलिस रिमाण्ड नही लेने की कहकर 10,000 रू लेने की बात हुई थी। जो हैड साहब के कहे अनुसार आज मेने ओमप्रकाश से लेकर गिनकर अपनी शर्ट की जेब मे रख लिऐ है। इस पर सुनील शर्मा को जितेन्द्र सिंह से रिश्वत लेन देन व लोकेशन जानने के सम्बधं में वार्ता करने हेतु कहा तो उसने बताया कि हैड साहब मेरे से ज्यादातर वाटसअप काल पर ही बात करते है अतः समय 7.23 पीएम पर डिटेन शुदा सुनील शर्मा से उसके मोबाईल [redacted] से जितेन्द्र सिंह हैड कानि के नम्बर [redacted] पर वाटसअप काल करवाया गया तो काल रिसिव नही किया गया। पुनः 7.40 पीएम पर काल करवाया गया तो भी काल रिसिव नही किया गया। इसके बाद पुनः समय करीब 7.42 पीएम पर मोबाईल से स्पीकर आन कर नारमल काल करवाई तो हैड कानि ने पूछने पर बताया कि मैं क्वाटर पर ही हूँ। आरोपी दलाल द्वारा पैसे लेन देन के सम्बधं में कहा तो जितेन्द्र हैड कानि द्वारा क्वाटर पर ही आने की कही। इसके तुरन्त बाद समय 7.43 पीएम पर पुनः वाटसअप काल स्पीकर आन कर करवाया गया तो जितेन्द्र सिंह द्वारा फालतु बात न करने की कहकर काल काट दिया। अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हेतु दलाल सुनील शर्मा का दाहिना हाथ श्री लालचन्द कानि. 30 एवं बायां हाथ श्री अभिषेक कानि. 197 से कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर दलाल को सरकारी वाहन ट्वेरा की बीच वाली सीट पर बीच में बिठाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों हाथ पकड़े हुये दलाल सुनील मय गवाहान मय जाप्ता मय वाहन के कृषि उपज मण्डी कार्यालय से रवाना होकर मण्डी के गेस्ट हाउस पंहुचे। जहां पर उपस्थित कर्मचारी से गेस्ट हाउस पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सहमति चाही गई तो कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध करवाते हुये अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। इसी दौरान पूर्व से जितेन्द्र सिंह हैड कानि की निगरानी व डिटेन हेतु भेजे गये श्री पृथवीराज पुलिस निरीक्षक, मय जाप्ता श्री किशन लाल, श्री मुकेश हैड कानि मय डिटेनशुदा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि के उपस्थित आये। तत्पश्चात गेस्ट हाउस के कमरे में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दलाल बिट्टु उर्फ सुनील शर्मा के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु गेस्ट हाउस में रखे केम्पर से दो साफ डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। सोडियम कार्बनेट पाउडर की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर दोनों गिलासों में डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में दलाल सुनील शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश RH-1, RH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में दलाल सुनील शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश LH-1, LH-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दलाल सुनील शर्मा ने परिवादी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखना बताया है। इसलिए स्वतंत्र गवाह श्री बृजबिहारी नागर से दलाल सुनील शर्मा की पहनी हुई शर्ट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी

दलाल सुनील शर्मा की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब से 500-500 के नोट बरामद हुये। उक्त बरामद राशि को गिनवाया गया तो गवाह श्री बृज बिहारी नागर ने उक्त राशि को गिनकर 500-500 रूपये के बीस नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री मोहित कुमार को फर्द पेशकशी नोट देकर दोनों गवाहान को दलाल सुनील शर्मा से उक्त बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से बरामद राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु रिश्वती राशि 10000 रूपये के नोट होना बताया गया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दलाल सुनील शर्मा की पहनी हुई शर्ट की जेब की धुलाई हेतु शर्ट को सम्मानपूर्वक उतरवाया गया तथा एक टी-शर्ट की व्यवस्था कर पहनने के लिए आरोपी दलाल को दी गई। तत्पश्चात एक अन्य साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल सुनील की उतरवाई गई शर्ट की सामने की बायीं जेब, जिससे रिश्वत राशि 10,000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमश S-1, S-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी दलाल सुनील शर्मा की उतरवाई गई शर्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकिट पर मार्क-S अंकित कर पेकिट को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तीनो डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिटेन कर लाये गये आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि को अपना व टीम का परिचय देकर कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी मूण्डला, थाना मांगरोल जिला बांरा, हाल इन्द्रा कालोनी, पुराने थाने के पास मकान नम्बर सी-170 थाना विज्ञान नगर कोटा हाल हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा होना बताया। रूबरू गवाहान के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से दलाल सुनील शर्मा के मार्फत परिवादी ओमप्रकाश शर्मा से ली गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि ने बताया कि "मैनें परिवादी के भाईयो को गिरफतार करते वक्त केस कमजोर करने के सम्बधं में परिवादी से कोई रिश्वत की मांग नही की और ना ही मैनें परिवादी से सुनील शर्मा दलाल को रिश्वत देने हेतु कहा तथा ना मैने परिवादी से रिश्वत प्राप्त की" इस पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी जितेन्द्र सिंह की बात का खण्डन करते हुऐ बताया कि "हैड साहब झूंठ बोल रहे है, इन्होने दिनांक 21.05.2024 को मेरे दोनो भाई कौशल व सुरेश को मुकदमा संख्या 186/2024 में गिरफतार किया था उस समय केस को कमजोर करने व रिमाण्ड नही लेने की ऐवज में बिट्टू शर्मा के मार्फत 20,000 रू की मांग की थी। मैनें 20,000 लेने पर मेरे दोनो भाईयों को छोडने की कहा तो इन्होनें कहा कि अदालत से ही छुटेगें तो मैनें 20,000 देने से मना किया और हैड साहब 10,000 रू लेने पर राजी हुए व मेरे भाई कौशल की सोने की बालिया खोलकर मेरे को संभलाते हुऐ का स्वयं के मोबाईल में विडियो बनाया तथा विडियो बनाने के बाद बालिया हैड साहब ने वापिस लेकर बिट्टू उर्फ सुनील शर्मा को देकर कहा कि 10,000 रू इनको दे जाना व बालिया ले जाना, फिर मेरी बेटी की सांप काटने से मृत्यू हो गई तो मैं हैड साहब से व सुनील शर्मा से नही मिल पाया। इसके बाद हैड साहब ने बिट्टू के फोन से मुझे फोन कर कहा कि तुमने अभी तक पैसे नही दिये है, इस पर मैं दुखी होकर आपके पास कोटा शिकायत करने आ गया व कल हैड साहब से लेन देन के सम्बधं में बात करने आया तो इन्होनें कहा था कि मैने तेरे कहे अनुसार तेरे भाई की फाईल में केस कमजोर कर दिया है, पीसी नही लिया है, गवाहो की विडियोग्राफी नही की है, आपराधिक रिकार्ड पुरा नही लगाया है और चालान भी 10-15 दिन में पेश करवा दुगां, जिसके बाद ही तेरे भाई की जमानत हो पायेगी। इस पर मैनें कहा कि मैं बिटटू से मिल लेता हॅू क्योकि पूर्व मे भी हैड साहब ने मुझसे बिटटु के फोन से बात की थी, इस पर हैड साहब ने बिटटू से मिल लेने की हामी भरी, फिर मैं बिटटू से मिला तो उसने कहा कि तुमने अभी पहले के ही पैसे बात हुई अनुसार अब तक नही दिये, वे भी बकाया चल रहे है, फिर कहा कि मेरे से हैड साहब मिल लिये है और उन्होनें कहा है कि चालान जल्दी पेश करवा दुगां, तो मैनें कहा कि अपनी पहले हुई बात अनुसार मैं कल ही 10,000 रू दे दुगां, फिर आज मैनें बिट्टू से आपके सामने ही मोबाईल पर बात की तो उसने कहा कि मैं तो कोटा से अटरू आ गया, तु पैसे लेकर अटरू आ जा। फिर मैनें अटरू आकर बिटटु को फोन किया तो वह कृषि उपज मण्डी में आ गया व मेरे से हैड साहब के कहे अनुसार ही 10,000 रू रिश्वत राशि ले ली व हैड साहब को फोन करके बात करके पूछने लगा ताकि उनको पैसे देने जा सके, तो हैड साहब ने 15-20 मिनट में क्वाटर पर आने की कही। उसी दौरान आपने बिटटू को पकड लिया। मैनें हैड साहब के कहे अनुसार ही बिटटू को 10,000 रू हैड साहब के लिए दिये थे।" परिवादी की पत्रावली के सम्बधं में जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पूछने पर बताया कि पत्रावली मैनें कल औमप्रकाश से बात होने के बाद आज ब्रीफ में भिजवा दी है जो एपीपी के पास है। उक्त वांछित रिकार्ड पृथक से प्राप्त किया जावेगा। आरोपी दलाल सुनील शर्मा के मोबाईल टच स्क्रीन एपल कम्पनी का आईएमईआई 351075968724358 जिसमें एक ही सिम कार्ड मोबाईल नम्बर जिओ कम्पनी की लगी हुई है तथा आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड

कानि के मोबाईल टच स्क्रीन सेमसंग कम्पनी बरंग नीला आईएमईआई 1- 352691182966093 आईएमईआई 2-353094922966094 जिसमें एक ही सिम कार्ड मोबाईल नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी की लगी हुई है। चूंकि दलाल सुनील शर्मा के मोबाईल नम्बर [redacted] एवं आरोपी जितेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर 9413606647 पर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई है। अतः आरोपीगण के दोनों उक्त मोबाईलों को कार्यवाही में वांछित होने से बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर दोनो मोबाईलो पर पृथक-पृथक चिट चस्वाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण जितेन्द्र सिंह हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं दलाल सुनील शर्मा द्वारा आपस में मिलीभगत कर जितेन्द्र सिंह हैड कानि के अधीन अनुसंधानाधीन प्रकरण संख्या 186/2024 को कमजोर करने तथा रिमाण्ड नही लेने व चालान जल्दी करने की ऐवज में दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू के माध्यम से 20,000 रू रिश्वत की मांग कर 10,000 रू रिश्वत लेने हेतु सहमत होना तथा दिनांक 06.07.2024 को सत्यापन के दौरान आरोपी जितेन्द्र सिंह से परिवादी की वार्ता के दौरान जितेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी के कहे अनुसार मुकदमे को कमजोर करने, पी.सी. नहीं लेने, गवाहो के बयानो की विडियो ग्राफी नहीं करने, आपराधिक रिकार्ड पूरा नहीं लगाने व चालान भी जल्दी पेश करने हेतु कहना। परिवादी द्वारा बिटटु से मिलने की कहना व बिट्टू से मिलने पर बिटटू द्वारा भी पूर्व के पैसे बकाया को देने हेतु कहना व चालान जल्दी पेश करवाने के सम्बधं मे आश्वासन देना एवं दिनांक 07.06.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान 10,000 रू श्री जितेन्द्र सिंह के लिए प्राप्त करना व रिश्वत राशि प्राप्त कर हैड कानि जितेन्द्र सिंह को काल करना इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी मूण्डला, थाना मांगरोल जिला बांरा, हाल इन्द्रा कालोनी, पुराने थाने के पास मकान नम्बर सी-170 थाना विज्ञान नगर कोटा हाल हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं 2. दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्द लाल जाति ब्राहम्ण, उम्र 30 साल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू जिला बांरा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगणों को पृथक सें गिरफ्तार किया जायेगा। दिनांक 08.06.2024 को समय 12.05 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरोपी दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्दलाल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू को कार्यवाही के दौरान दिनांक 06.06.24 को स्वयं व ओमप्रकाश के मध्य हुई सत्यापन वार्ता, स्वयं व जितेन्द्र हैड कानि. के मध्य हुई दूरभाष वार्ता एवं दिनांक 07.06.20.24 को स्वयं व परिवादी ओमप्रकाष के मध्य हुई दुरभाष वार्ता व रिश्वत राशि लिये जाने के दौरान हुई वार्ता स्वयं व जितेन्द्र हैड कानि के मध्य हुई दुरभाष वार्ताऐं जो सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त वार्ताओं में आरोपी दलाल की आवाज का मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में परीक्षण करवाने के सम्बन्ध में नमूना आवाज की आवश्यकता होने से आरोपी को नमूना आवाज का नोटिस दिया गया। इस पर आरोपी दलाल द्वारा नोटिस पर ही लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना सैम्पल स्वैच्छा से नहीं देना चाहता" अतः नोटिस नमूना आवाज मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.15 ए.एम.पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं पुत्र श्री शम्भू सिहं जाति राजपुत हाल हैड कानि0 403 पुलिस थाना अटरू जिला बांरा को कार्यवाही के दौरान स्वयं व ओमप्रकाश के मध्य दिनांक 06.06.24 को रिश्वत राशि मांग, पेण्डिगं वर्क एवं दलाल सुनिल शर्मा से मिलने के सम्बन्ध में हुई वार्ता, स्वयं व दलाल सुनिल शर्मा के मध्य हुई दुरभाष वार्ता तथा दिनांक 07.06.24 को स्वंय व आरोपी सुनिल शर्मा के मध्य हुई दुरभाष वार्ताओं जो सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त वार्ताओं में आरोपी की आवाज का मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में परीक्षण करवाने के सम्बन्ध में नमूना आवाज की आवश्यकता होने से आरोपी को नमूना आवाज का नोटिस दिया गया। इस पर आरोपी द्वारा नोटिस पर ही लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना सैम्पल स्वैच्छा से नहीं देना चाहता" नोटिस नमूना आवाज मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.25 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरेोपी दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्दलाल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू बांरा को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पूर्ण पद व परिचय से अवगत कराया तथा आरोपी को उसका जूर्म पढकर सुनाया, आरोपी को उसकी गिरफतारी के आधारो व सवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुऐ कार्यवाही हाजा में चैक लिस्ट तैयार कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। चैक लिस्ट व फर्द गिफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 एएम पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरेोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैडकानि 403 पुलिस थाना अटरू जिला बांरा को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पूर्ण पद व परिचय से अवगत कराया तथा आरोपी को उसका जूर्म पढकर सुनाया, आरोपी को उसकी गिरफतारी के आधारो व सवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुऐ कार्यवाही हाजा में चैक लिस्ट तैयार कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। चैक लिस्ट व फर्द गिफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 1.00 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री संत्यनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 40 साल निवासी ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां व आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि के मध्य दिनांक 06.06.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk

Ultra 32 GB में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बारां की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 2.30 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश व दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू के मध्य दिनांक 06.06.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 6.35 ए.एम. रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश व दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू के मध्य दिनांक 07.06.2024 को दौराने रिश्वत लेन देन वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 7.40 ए.एम.पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश व दलाल सुनिल शर्मा व बिट्टू के मध्य दिनांक 07.06.2024 को हुई मोबाईल वार्ता प्रथम को स्पीकर आन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड मोबाईल वार्ता प्रथम को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 7.55 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व श्री मोहित कुमार के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश व दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू के मध्य दिनांक 07.06.2024 को हुई मोबाईल वार्ता द्वितिय को स्पीकर आन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड मोबाईल वार्ता द्वितीय को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.00 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि व दलाल सुनिल शर्मा व बिट्टू के मध्य दिनांक 07.06.2024 को हुई मोबाईल वार्ता तृतीय को स्पीकर आन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड मोबाईल वार्ता तृतीय को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं व दूसरी आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.10 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी व मोहित कुमार के समक्ष आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि व दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू के मध्य दिनांक 07.06.2024 को हुई मोबाईल वार्ता चतुर्थ को स्पीकर आन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड मोबाईल वार्ता चतुर्थ को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटाप का स्पीकर चालु कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को चलाकर सुनाया गया तो, उक्त वार्ता में परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा एक आवाज आरोपी श्री जितेन्द्र सिहं व दूसरी

आवाज दलाल सुनिल शर्मा उर्फ बिट्टू की होना सुनकर पहचान की गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रास्क्रीप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.15 ए.एम. पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी, मोहित कुमार व परिवादी के समक्ष आरोपी जितेन्द्र सिंह, आरोपी सुनील शर्मा व परिवादी के मध्य दिनांक 06 व 07.06.2024 को विभिन्न समय पर हुई आपस में वार्ता मय मोबाईल वार्ता जिसे ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB में रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को कार्यालय के लेपटाप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालचन्द कानि. 30 से उक्त रिकार्ड वार्ताओ की बिना छेडछाड किये हैश वैल्यू निकलवाई जाकर प्रिंट लिया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.30 ए.एम.पर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी, मोहित कुमार व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड में रिकार्ड दिनांक 06.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कि परिवादी ओमप्रकाश शर्मा व आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि के मध्य तथा परिवादी व आरोपी दलाल श्री सुनील शर्मा के मध्य हुई वार्ता और दिनांक 07.06.2024 को परिवादी व दलाल श्री सुनील शर्मा के मध्य रिश्वत लेने के दौरान हुई वार्ता तथा परिवादी व दलाल के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं तथा दोनो आरोपियो के मध्य आपस में हुई रिश्वत लेन देन के बाद हुई मोबाईल वार्ताओं जो कि डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ताओ को मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द शर्मा कानि 30 के द्वारा कार्यालय के लेपटोप से 5 पेन ड्राईव में सीधे ही कापी कर पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। जिसमें एक पेन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए, दो पेन ड्राईव आरोपीगणो के लिए व एक पेन ड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया। डीवीआर में से मूल मैमोरी कार्ड Sand Disk Ultra 32 GB को निकलवाया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड व तैयारशुदा पांच पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया गया। समय 08.40 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान के कार्यवाही हाजा के घटना स्थल का नजरी निरीक्षण करने व नक्शा मौका मूर्तिब करने हेतु गेस्ट हाउस कृषि उपज मण्डी अटरू से मण्डी के परिसर व कार्यालय रवाना हुआ। घटना स्थल पहुंचकर रूबरू गवाहान श्री बृजबिहारी, मोहित कुमार के समक्ष बमौजूदगी परिवादी श्री ओमप्रकाश के कार्यवाही हाजा के घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। बाद नक्शा मौका रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस गेस्ट हाउस पहुंचा। कार्यवाही हाजा में आरोपी जितेन्द्र सिंह के पास पैण्डिग कार्य से सम्बधिंत प्रकरण संख्या 186/2024 थाना अटरू की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रतियां चाहने हेतु पत्र एसपीएल-01 तैयार कर श्री लालचन्द कानि को पैण्डिग कार्य से सम्बधित प्रमाणित प्रतियां लेने थाना अटरू रवाना किया गया। समय 09.50 ए.एम. पर श्री लालचन्द कानि पैण्डिग कार्य से सम्बधित रिकार्ड चाहने हेतु थानाधिकारी अटरू के नाम लिखा पत्र थाना पर देकर प्राप्ती रसीद लेकर वापस आया। पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी सुनील उर्फ बिटटु शर्मा व श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.30 पीएम.पर थाना अटरू से विशेष् वाहक के जरिये पत्रांक 3066 दिनांक 08.06.2024 के संलग्न परिवादी के पैण्डिग कार्य की पत्रावली प्रकरण संख्या 186/2024 थाना अटरू की प्रमाणित फोटो प्रतिया कुल 01 लगायत 75 तक प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.00 पीएम. पर मौके की कार्यवाही पूर्ण होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हाल हैड एवं दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू व एसीबी जाप्ता के साथ लाये वाहनो से मय जब्तशुदा रिश्वत राशि 10,000 रूपये का लिफाफा, धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयों, शर्ट का पैकिट, आरोपियो के मोबाईल जब्तशुदा, जब्तशुदा 05 पेनड्राईव (04 शील्डशुदा व 01 अनशील्ड), मैमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकिट मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स के कार्यालय एसीबी एसयू कोटा के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को सकुशल रूखसत किया गया। समय 05.30 पीएम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एसीबी कार्या. एसयू कोटा पंहुचा। समस्त जब्तशुदा व बरामद शुदा माल, मालखाना प्रभारी श्रीमति सरोज महिला हैड कानि. को सम्भलाये जाकर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू द्वारा आपस में मिलीभगत कर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि के अधीन अनुसंधानाधीन परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा के दो भाईयों के विरूद्ध प्रकरण संख्या 186/2024 को कमजोर करने तथा परिवादी के दोनों भाईयों का रिमाण्ड नहीं लेने व चालान जल्दी करने की ऐवज में दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू के माध्यम से 20,000 रू रिश्वत की मांग कर परिवादी के राशि कम करने के निवेदन पर 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादी की शिकायत पर दिनांक 06.06.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। दौराने सत्यापन परिवादी श्री ओमप्रकाश आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. 403 थाना अटरू से मिला तो आरोपी हैड कानि. द्वारा परिवादी से रिश्वत के सम्बन्ध में पूर्व में वार्ता होने का जिक्र कर परिवादी के दोनों भाईयों के विरूद्ध दर्ज मुकदमें का कमजोर अनुसंधान करना, इलेक्ट्रानिक प्रूफ शामिल नहीं करना, पी.सी. रिमाण्ड नहीं लेकर हथियार बरामद नहीं करना, गवाहो के

बयानो की विडियोग्राफी नहीं करना, आपराधिक रिकार्ड पूरा नहीं लगाना व चालान भी जल्दी पेश करने हेतु कहना तथा वार्ता में दलाल बिट्टू शर्मा से मिलने की सहमति दी गई। इसके अतिरिक्त सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री जितेन्द्र द्वारा परिवादी के भाई कौशल की कान की सोने की बालियों के सम्बन्ध में कहा गया कि "नहीं नहीं वो बिट्टू से यूं कह दिया था मैनका बिट्टू यार उनसे बिल्कुल मत बोलना किसी भी तरीके से अभी वो बच्ची, कितनी बड़ी आपके साथ दुर्घटना हुई है, नोर्मल किसी इन्सान के साथ हो तो बहुत बड़ी बात है" "मैनेका बिल्कुल भी उनसे कुछ भी मत कहना और वो वो ले लिया मैने, उनसे कह देना, उनको दे देना चुपचाप से, पर देना उन्ही को" "और किसी को मत देना, कल को कोई बात हो जाये" अतः इससे तय होता है कि आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. से दलाल सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू घनिष्ठ सम्बन्ध में था व मुकदमें में मदद के बदले परिवादी की रखी गई बालियां बिट्टू के पास थीं। आरोपी द्वारा अपने कथनों में परिवादी की मदद के बदले बिट्टू से मिलने पर सहमति जताता है। इसके पश्चात् आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. की सहमति अनुसार परिवादी उसके कार्य के सम्बन्ध में दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू से मिला तो दलाल बिट्टू द्वारा दौराने सत्यापन कहा गया कि "अर वानअ तो बीस मांग्या छा, पण थांनअ खी दस दे देंगा, याअ खी छी न थां नअ" "अर वांनअ तो उका तो बीस ही मांग्या छा, पण थांनअ खी दस, जे मनअ् तो वांसअ दस की ख दी छी, वांनअ खी छी दो जणे हैं, एक एक जणे के, अबाण देख ज्यो, मु खर्यो नअ, और मतलब हाल यांको भी रोल बाकी छ क" कथन कर परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन अनुसार 10,000 रूपये रिश्वत राशि तय करने की पुष्टि हुई तथा रिश्वत राशि 10,000 रूपये दिनांक 07.06.2024 को लेने पर सहमति जाहिर की। इसी वार्ता के दौरान दलाल बिट्टू द्वारा पहले जितेन्द्र हैड कानि. को फोन कर मिलने हेतु समय चाहा गया। जिस पर कुछ समय पश्चात् आरोपी जितेन्द्र हैड कानि. द्वारा दलाल बिट्टू को फोन कर उसे उसके क्वार्टर पर बुलाया गया। जिसके सम्बन्ध में दलाल बिट्टू परिवादी से कथन करता है कि "उ आग्यो, थांकों उको फोन आयो, हैड साहब को, हां सर, क्वार्टर पे, ठीक है, जाउं छूं यार उ बना न बठाण जे यहां" और सत्यापन स्थल से रवाना होकर थाने के क्वार्टर पर जाकर जितेन्द्र से मिलकर आता है तथा प्रकरण में जितेन्द्र के द्वारा मदद करने की सहमति परिवादी तक प्रेषित करता है और कहता है कि पहले पूर्व से तय 20,000 रूपये की रिश्वत राशि परिवादी उसके मार्फत भिजवाये तभी चालान जल्दी पेश करने के सम्बन्ध में रिश्वत राशि तय हो पायेगी। उक्त वार्ताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितेन्द्र द्वारा परिवादी के दोनों भाईयों के विरूद्ध दर्ज मुकदमें का कमजोर अनुसंधान करना, इलेक्ट्रानिक प्रूफ शामिल नहीं करना, पी.सी. रिमाण्ड नहीं लेकर हथियार बरामद नहीं करना, गवाहो के बयानो की विडियोग्राफी नहीं करना, आपराधिक रिकार्ड पूरा नहीं लगाना व चालान भी जल्दी पेश करने का भरोसा जताया गया व दलाल बिट्टू द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी श्री जितन्द्र की तरफ से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी से बातचीत के दौरान दलाल आरोपी हैड कानि. से मिलने गया व वापस आकर पूर्व के पैसे देने बाबत् कहा। अतः दलाल द्वारा रिश्वत की मांग आरोपी श्री जितेन्द्र के लिए की गई व जितेन्द्र ने रिश्वत मांग हेतु दलाल बिट्टू के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र रचा व आपराधिक दुष्प्रेरण किया। आरोपीगण की मांग अनुसार दिनांक 07.06.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू द्वारा आपस में मिलीभगत कर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि की सहमति अनुसार दलाल बिट्टू शर्मा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत प्राप्त कर दलाल ने तुरन्त आरोपी श्री जितेन्द्र हैड कानि. को फोन कर मिलने हेतु पूछा तो आरोपी हैड कानि. ने दलाल को क्वार्टर पर बुलाया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व नियोजित षड़यंत्र के अनुसार दलाल ने आरोपी हैड कानि. के लिए रिश्वत प्राप्त की व रिश्वत राशि को उसे देने जाने के लिए मोबाईल पर सम्पर्क किया। आरोपी हैड कानि. द्वारा रिश्वत प्राप्ति के दौरान दलाल के सम्पर्क में रहकर आपराधिक षड़यंत्र व आपराधिक दुष्प्रेषण किया। दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू के दाहिने एवं बाये हाथ के धोवन तथा पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब, जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई थी, के धोवन का रंग गुलाबी आया। आरोपीगण श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. एवं दलाल श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी मूण्डला, थाना मांगरोल जिला बांरा, हाल इन्द्रा कालोनी, पुराने थाने के पास मकान नम्बर 170 थाना विज्ञान नगर कोटा हाल हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं 2. श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्द लाल जाति ब्राहम्ण, उम्र 30 साल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू जिला बांरा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स के तहत दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त धाराओ मे प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित की जावेगी। (मुकुल शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट., कोटा.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट., कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स में आरोपीगण 1. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह ,निवासी मूण्डला, थाना मांगरोल जिला बांरा, हाल इन्द्रा कालोनी, पुराने थाने के

पास मकान नम्बर 170 थाना विज्ञान नगर कोटा हाल हैड कानि 403 थाना अटरू जिला बांरा एवं 2. श्री सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र श्री नन्द लाल जाति ब्राहम्ण, उम्र 30 साल निवासी टीचर कालोनी पुरानी मण्डी के पास अटरू जिला बांरा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बारां को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 132पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 571-74 दिनांक 09.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला बारां। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट., कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/06/2024 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/12/1984				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)